प्रेस विज्ञप्ति
06/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी(, लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम)पीएमएलए(, 2002 के प्रावधानों के तहत उप्र श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा जननी सुरक्षा योजना)एनआरएचएम फंड(के तहत चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं से संबंधित मामले में ब्रह्म प्रकाश सिंह, सिद्धार्थ सिंह पुत्र ब्रह्म प्रकाश सिंह, गोविंद शरण श्रीवास्तव और कुमार कार्तिकेय पुत्र गोविंद शरण श्रीवास्तव से संबंधित लखनऊ में स्थित 30 लाख रुपये मूल्य के आवासीय भूखंड के रूप में 01 अचल संपत्ति और 38.47 लाख रुपये मूल्य की बीमा पॉलिसियों के रूप में 03 चल संपत्ति, कुल मिलाकर 68.47 लाख रुपये)लगभग(की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया।

ईडी ने उप्र श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा जननी सुरक्षा योजना)एनआरएचएम फंड(के तहत चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं से संबंधित मामले में भादस, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, विशेष कार्य दल (एसटीएफ), नई दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, ब्रह्म प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ के तत्कालीन प्रबंध निदेशक थे और उप्र सहकारी अधिनियम, 1965 के अनुसार वे संगठन के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थे। वे उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ, लखनऊ द्वारा प्राप्त राशि के संरक्षक थे। जननी सुरक्षा योजना के तहत मान्यता प्रदान करने का कार्य तत्कालीन मुख्य अभियंता गोविंद शरण श्रीवास्तव को दिया गया था। दोनों खरीद संबंधी अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए और आपूर्तिकर्ताओं से अनुचित लाभ प्राप्त किया।

ईडी की जांच में जी एस श्रीवास्तव और उनके परिवार के सदस्यों के खाते में नकद जमा और तदुपरांत जीवन बीमा पॉलिसी खरीद का पता चला। इसके अलावा, अपराध अवधि के दौरान बी.पी. सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में भी नकद जमा पाया गया, जिसका बाद में अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मामले में अपराध का कुल आगम)पीओसी) 2.29 करोड़ रुपये है, जिसमें 6/12/2024 को 68.47 लाख रुपये)लगभग(की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

आगे की जांच जारी है।